प्र.सं. ..56........./ दावा / प्र.पत्र /...2023....

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। प्रा०प० प्रार्थी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि पर पहुंच मार्ग की स्वीकृति दी जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

24

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01..........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या.....01..........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

राष्ट्रीय लोक अदालत मार्च 2024

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
56/दावा/2023 (आनलाईन 2023/127)	03.07.2023	09.03.2024

1. कन्हैयालाल उर्फ किशन पुत्र दुर्गा जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. धन्नालाल आत्मज मूलचंद जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
3. धन्नी पुत्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
4. मनोज कुमार आत्मज श्री केशरीलाल आयु व्यस्क जाति कहार निवासी झालावाड राजस्थान।
5. रतन पुत्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
6. रामजीलाल आत्मज श्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क नि. ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
7. रामस्वरूप आ0 श्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
8. ललता पुत्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
9. शान्ति पुत्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
10. सीता पुत्री मूलचंद जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
11. हनुमान आ0 श्री दुर्गा जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
12. हीरा आ0 श्री गंगाबिशन जाति जाट जाति जाट आयु व्यस्क निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तालेडा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता निर्माण अन्तर्गत धारा 251–क (1) आर.टी. एक्ट

उपस्थित अभिभाषकः–

अभिभाषक प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट सपठित सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 68 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता संख्या नया 70 पुराना 66 खसरा सं. 157 रकबा 1.0522 है0. वाके ग्राम नैणदा पटवार मण्डल अकतासा तहसील तालेडा में स्थित है। वादीगण अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 157 पर आने जाने के लिए आम रास्ता बना हुआ है जो उक्त भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा की मेड से नैणदा रोड तक लगभग 150 फिट का है जो कि सिवायचक ट्रेस पास भूमि पर बना हुआ है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। वादीगण उक्त भूमि पर पूर्व में भी उक्त खसरा संख्या 157 की दक्षिण पूर्वी मेड पर बने कच्चे रास्ते से ही नैणदा रोड तक निकलकर आते जाते है। उक्त रास्ता सिवायचक जमीन पर होने से आस पास के खातेदार उसे कब्जा करना चाहते है। दिनांक 01.03.2023 को अतिक्रमी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर वादीगण को उक्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया एवं वादीगण का अपने खेत तक पहुंच का रास्ता बंद करवा दिया। अतः वादीगण माननीय न्यायालय से भूमि खसरा संख्या 157 तक पहुंच के लिये खसरा संख्या 157 की दक्षिणी पूर्वी मेड से 150 फिट लम्बा एवं 12 फिट चौडा रास्ता जो नैणदा रोड में मिलता है को वादीगण को दिलवाया जावे एवं उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिलवाया जावें इस हेतु वादीगण निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराने को तैयार है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की गई।

वादीगण द्वारा आवेदित रास्ते के सम्बन्ध में प्रतिवादी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जर्ये पत्रांक 131 दिनांक 19.02. 2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तावित किया गया मार्ग न्यूनतम है व वर्तमान में प्रार्थी इसी रास्ते से आता जाता है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा संख्या 157 रकबा 1.0522 हैक्टे0 ग्राम नैणदा पर पहुंच हेतु रास्ता आवेदित किया गया है। खसरा संख्या 159/394 रकबा 0.3237 हैक्टे0 से न्यूनतम दूरी से गुजरेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि है। रास्ते की लम्बाई 100 फीट गुणा 20 फीट कुल 2000 वर्गफीट (0.

हैक्टे0) है जो सम्पूर्ण नक्शे अनुसार दर्ज होगी। जिसकी वर्तमान डीएलसी 1793914 रू प्रति हैक्टेयर है। वादीगण नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु सहमत है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क की उपधारा (1) राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कृषि भूमि पर रेकार्ड में रास्ता नही होने एवं कृषि भूमि पर कृषि कार्य एवं उपकरण इत्यादि की पहुंच हेतु रास्ता लिया जाना महती आवश्यकता है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट से भी होती है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण की आराजी कृषि भूमि पर पहुँच हेतु नियमानुसार तहसीलदार तालेड़ा को रास्ता सृजन करने के लिए आदेश फरमावें।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर जिस प्रकार वादीगण ने वाद पत्र में कथन अंकित कर रास्ता चाहा गया है उसे दिया जाना न्यायोचित नही है रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम होने से रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार वादीगण की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव प्रकट है एवं प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा सं. 157 रकबा 1.0522 हैक्टे. वाके ग्राम नैणदा पटवार मण्डल अकतसा तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुँच के लिए खातेदार राजस्थान सरकार की खातेदारी की आराजी ख0सं0 159/394 रकबा 0.3237 हैक्टे. में से लम्बाई 100 गुणा चौडाई 20 = 2000 वर्गफीट यानि 0.0195 हैक्टे. भूमि संलग्न नक्शानुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेड़ा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जाये तथा रास्ता का सीमांकन किया जाये। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थी से कुल भूमि 0.0195 हैक्टे0 की एवज में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगुनी राशि राजकोष में जमा करायी जावे, तत्पश्चात राजस्व रेकार्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। वादीगण रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेड़ा एवं प्रार्थी को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01.........

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या....01...........
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)